India. This is a malicious and baseless accusation against the Government by interested quarters.

UPA Government reiterates that the Arab TV channels like Al-Jazeera, Al-Arabia, Q TV have not yet applied to be downlinked in India till date. Hence they cannot be transmitted / re-transmitted through cable networks / DTH in India, for public viewing. However, they are still free to apply afresh for registration under the Downlinking Guidelines, if they so desire and they will have similar opportunities like others.

The Policy Guidelines for Downlinking issued on 11"[1] November, 2005, a list of 65 Channels uplinked from abroad, who had applied upto 10th May, 2006 and permitted to continue beaming *vide* notification issued on 11"[1] May, 2006 and other related documents are available on Ministry's website: *www.mib.nc.in.*

A press release clarifying the above status has been issued on 7.8.2006 by the Ministry on which reports have been carried by newspapers, both within and outside the country. Ministry of External Affairs has also sent a detailed Fax message dated 7.8.2006 to all missions in the Gulf and WAN A regions to rebut the malicious and false information carried by the paper

_____

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Points arising out of the Answer given in the Rajya Sabha on 26th July, 2008 to Starred Question No.44 regarding 'Special Economic Zones'

श्री सभापति : श्री रामदास अग्रवाल ।

श्री रामदास अग्रवाल (**राजस्थान**) **:** माननीय सभापति जी, मेरे प्रश्न संख्या 44, दिनांक 26 जुलाई, 2006 को इस विषय पर जो उत्तर दिया गया था, उसके बाद यह प्रश्न खड़ा हुआ कि इस पर हाफ् एन ऑवर चर्चा की जाए । उसके लिए आपने अनुमति दी, आपका धन्यवाद ।

महोदय, हम सब जानते हैं कि निर्यात संवर्द्धन एंव प्रोत्साहन के लिए सरकारें समय-समय पर अनेक प्रकार की सहूलियतें, फैसिलिटीज़, करों से छूट और अन्य आकर्षण प्रदान करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात बढ़े और उद्योगों को प्रोत्साहन मिले । श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय एक्स्पोर्ट प्रोसिसिंग जोन्स, ई.ओ.ईज्. के क्षेत्र में बढ़ाते हुए, आर्थिक प्रगति को द्रुत गति प्रदान करने के लिए तथा उसे और सक्षम बनाने के लिए एस0ई0जेड्स0 की पॉलिसी का निर्णय किया गया था …(**व्यवधान**)…

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसमें आपको क्लैरिफिकेशन करने हैं ...(**व्यवधान**)... पहले उनका जवाब होगा, बाद में आप क्लैरिफिकेशन करांए ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल : मै कर रहा हूं, सर । पूछ रहा हूं । ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : पहले वे बोलेंगे, फिर हाफ एन आवर चर्चा होगी ...(**व्यवधान**)... अच्छा, पहले ये बोलेंगे ? ...(**व्यवधान**)... ठीक हैं, बोलिए ।

श्री रामदास अग्रवाल : जी, हां । ऐसा ही परसों हुआ था, इसीलिए मै अर्ज़ कर रहा हूं । ...(**व्यवधान**)... सर,राजग सरकार ने भी एस.ई.जेड्स. को प्रोत्साहित करने के लिए इस नीति का निर्धारण किया था । आगे चलकर आपने इसको एक कानून का रूप प्रदान कर दिया। 10 फरवरी, 2006 को यह वास्तविक कानून के रूप मे परिवर्तित हो गया । एस.ई.जेड्स. बनाने के पीछे दोनों सरकारों का उद्देश्य था-निर्यातोन्मुखी औद्योगिकी विकास करना । सभापति महोदय, ग्लोबल इकोनॉमिकीय होड़ में हमारे भारत के उद्योग या निर्यातक किसी प्रकार से दुनिया के बाजार मे प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें और उसके अनुसार वे अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकें, इस दृष्टि से सरकारों ने ये ई0ओ0ईज0, एस0ई0जेड्स0 इत्यादि सब व्यवस्थांए की । इन सारी चीजों को लागू करने के लिए एस.ई.जेड्स.का खास तौर से जो नया कंसेप्ट हमारे देश में आया है, उसमें शुल्क-मुक्त, यानी सब प्रकार के शुल्कों से मुक्ति ने कोई सेल्स टैक्स, न कोई इनकम टैक्स न एक्साइज़ ड्यूटी और न ही कस्टम ड्यूटी इस प्रकार के जो सारे टैक्स दूसरे उद्योंगों को देने पड़ते हैं, वे इन सबसे कर मुक्त होंगे, जो एसईजेड्स में स्थापित होंगे । एक तरह से ये एसईजेड्स उन लोगों के लिए हैवन हैं, जो इसमें उद्योग लगाते हैं, क्योंकि ये टैक्स.फ्री है । इस तरह आप यह टैक्स-फ्री जोन्स का निर्माण करने जो रहे हैं ।

सभापति महोदय, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, इसका अर्थ हमारे माननीय मंत्री जी यह न सोचें कि मैं कोई एसईजेड्स का विरोध कर रहा हू । मै विरोध इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सरकार ने एसईजेड्स को प्रोत्साहित किया था, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि इस समय एसईजेड्स को जो सहूलियतें प्रदान की जा रही हैं और जो खासतौर से टैक्स के मामले मे फैसिलिटीज दी जा रही है,उसके कारण, जैसा मैनें उस दिन भी कहा था, कि एसईजेड्स के लिए होड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है । इसका कारण है कि जो छूटें दी गई है, वे अप्रत्याशित हैं और बहुत बड़ी है । इन सारी छूटों के कारण जो उद्योग लगाना चाहते हैं,चाहे वे देशी कंपनियां हो या हमारे यहां विदेशी सहायता से चलने वाली कंपनियां हों, उन कंपनियों के सारे के सारे लोग एसईजेड्स के द्वारा स्थापित उद्योगों का लाभ उठाने के लिए इधर दौड रहे हैं ।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने अभी तक कुल मिलाकर 150 एसईजेड्स के लिए कैप निर्धारित किया था, 350 एसईजेड्स के लिए आपके पास एप्लीकेशन है । मैं सरकार की दुविधा को समझ सकता हूं कि जब उनके पास इतनी एप्लीकेशन्स हों, तो उसमे से वे कितनी एप्लीकेशन्स को मंजूर करें, क्योंकि 150 का आपका कैप लगा हुआ है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जरा जल्दी करिए, क्योंकि आधे घंटे में इसे खत्म करना है ।

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं । आपने अनुमति दी है ।

श्री सभापति : अनुमति दी है, मेरी गलती नही हैं। इसके लिए हाफ् एन आवर का समय है ।

श्री रामदास अग्रवाल : सर, गलती नही है,मगर जरा कृपा करें । ...(**व्यवधान**)...

श्री रूद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : सर, यह सारा मामला आधें घंटे में होंगा या इस पर वक्ता आधा घंटा लेंगे ?

श्री सभापति : सारा मामला आधे घंटे मे होना है ।

श्री रामदास अग्रवाल : सर, मैं आधा घंटा नहीं बोलूंगा ।

श्री सभापति : नहीं, आप जल्दी खत्म करें । आपके बाद भी बहुत सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रामदास अग्रवाल : सर, मै बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा । मेरे ऊपर दया करें ।

श्री सभापति : नहीं, दया का सवाल ही नहीं हैं । रूल्स में लिखा ही नही हैं कि दया की जाए । रूल्स में लिखा होता, तो मैं दया करता । आप जल्दी खत्म करें ।

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति महादेय, हमारी केन्द्र सरकार की दुविधा है, ऐसा मुझे लगता है । अभी कुछ दिन पहले केन्द्र सरकार के अंदर इस मामले को लेकर दुविधा उत्पन्न हुई और मिनिस्टर आफॅ फाइनेंस ने एक छोटा सा वक्तव्य दे दिया, जो अखबारों में छपा है और जिसे मैं कोट करना चाहता हूं –"The MoF has raised concern that SEZ licences could *bb* challenged in the court as there are no clear guidelines for selection, it has also been said, a move, as suggested by the Commerce Minister, to raise the cap on the number of SEZs should be put in abeyance. It is clear that guidelines are formulated."

सभापति महोदय, मै खासतौर से यह बात इसलिए उठाना चाह रहा हूं, क्योंकि लाखों करोड़ों रूपए का इन्वेस्टमेंट करके हजारों एकड़ भूमि में यह एसईजेड्स लगाने की योजना का विस्तार किया जा रहा है । विस्तार स्वागत योग्य है, लेकिन आपके यहां से कल ही एक वक्तव्य छपा है, जो अखबारों में भी आया हैं कि आप स्वंय अपने रूल्स के अंदर परिर्वतन करना चाहते हैं, क्योंकि इन रूल्स के द्वारा आपको यह लगा है कि इनका कहीं कहीं दुरूपयोग इस रूप में हुआ हैं । आज यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है ।

श्री सभापति : महत्वपूर्ण है, लेकिन समय भी देखना है ।

श्री रामदास अग्रवाल : सर, दुरूपयोग तो सामने लाना पडेगा ।

श्री सभापति : लेकिन दुरूपयोग में ज्यादा टाइम मत लो ।

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति महोदय, जो दुरूपयोग हुआ है, उस पर बोलना महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज लग रही है एसईजेड्स में, वहां लोग अपने पुराने अटारे उठा-उठा करके ला रहे हैं और वहां लाकर के उसके सारे बेनेफिट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए शायद आपने यह नियम बनाने का प्रावधान किया है, जैसा कि अखबारों के छपा हैं कि आगे आने वाले समय मे आप ऐसा नियम बनाएंगे। आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ,वह तो आप कहेंगे, लेकिन अखबा मे इसकी सूचना आई हैं कि ऐसा नियम बनाया जाएगा ताकि लोग अपने पुराने उद्योगों को उठाकर, लाकर एसईजेड्स में स्थापित न कर सकें और जब वह नया इंवेस्टमेंट करेंगे, तभी जाकर के उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। क्या आप ये नियम बनाने जा रहे है,क्योंकि अखबार में ऐसा छपा है, क्या आपने अपना 150 का जो कैप अपना लिया है,उसमें पवित्तन करने जा रहे हैं और बाकी के उद्योगों को भी उसका लाइसेंस देने जा रहे है, ऐप्रूवल आफ लैटर देने जो रहे हैं ? एक तो यह मेरा स्पेसिफिक प्रश्न आपके सामने हैं।

इसके साथ ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है,सभापति महोदय, आपको जानकारी है कि जमीन का मामला यद्यपि स्टेट्स का मामला है, लेकिन मै अपने कॉमर्स मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपको मालूम हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही यूपी मे हमारे एक पूर्व प्रधान मंत्री जी, वहां पर उद्योग लगने वाला था,वहां पर धरने का जाकर बैठ गए, क्योंकि किसानो को जब तक जमीन नही मिले, उद्योग नहीं लगेगा और वहां जाकर उन्होनें धरना दें दिया, लेकिन हरियाणा मे किसी एक उद्योग ने 25,000 हैक्टेयर जमीन की मांग की ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : वह सबको मालूम हैं, आप इन पर टाइम वेस्ट मत करो ।

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति जी, सवाल यह आता है कि जिस जमीन पर आप उद्योग लगाना चाहते हैं, कि वह जमीन किसानों की है और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किसानों की जमीन को इस प्रकार से अगर लिया जाता है,तो क्या उनको प्रॉपर कम्पनसेशन देने के लिए आप इसको केवल राज्य सरकार के हाथ मे छोड देगे ? मै चाहता हूं कि जब आप नियम-कानून बन रहे हैं तो इस प्रकार की व्यवस्थ करें कि किसानों को वहां पर नौकरी मिले, किसानों को प्रापॅर कम्पनसेशन मिले, किसानों की उतनी जमीन में, जैसा सभापति महोदय, आपको मालूम होगा कि राजस्थान सरकार ने एक व्यवस्था बनाई थी कि जो जमीन SEZ के लिए ली जा रही है, उस जमीन में से 25 प्रतिशत डेवलप्ड लैंड उस किसान की दी जाएगी – 20 परसैंट उसके रेजिडेंस के लिए और 5 परसैंट कमर्शियल यूज़ के लिए दी जाएगी , तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था होने से किसानों के आंदोलन को कम किया जा सकता है, उनमे उठने वाले रोष को रोका जा सकता है। क्या आप ऐसी व्यवस्था दूसरी जगहों पर भी करवा सकते हैं या आप कहीं पर ऐसा कोई नियम बनाएंगे ताकि जो व्यवस्था है,उससे किसानों मे आंदोलन पैदा न हों, रोष पैदा न हो ?

मेरा एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मेरे प्रश्न के उत्तर में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा है, सभापति जी, आप भी जरा गौर करें, मैंनें प्रश्न पूछा था :-

"Whether Government has so far made any assessment as to how much money is being lost by way of various concessions, subsidies, relaxations

being given by Government to industry, SEZs, EPZs and FTZs and reduction in excise duty..."

सर, उसका जवाब हैं :-

"Yes, Sir, the estimated overall revenue for loan on account of various concessions given by Government amounts to Rs. 1,58,660 crores in the year 2004." 1,58,000 करोड़ रूपया दिया गया है इन सारे कन्सैशंस में और जो एक्सप्लिसिटी सब्सिडी दी गई है, उसमें 43,653 करोड़ रूपया दिया गया है ।

सभापति महोदय, अगर SEZs इसी तरह से बढेंगें तो सब्सिडी का अमाउंट कितना बढ़ेगा,कहां तक जाएगा, इसका कोई अंदाजा इस सरकार को करना होगा और जब सरकार इसका असैसमेंट करेगी तो उस पर विचार करने के बाद ही उनको SEZs स्वीकार करना चाहिए ।

श्री सभापति : सुश्री मैंबल रिबैलो । कृपया टाइम का ध्यान रखें ।

सुश्री मैबल रिबैलो (**झारखंड**): कितना टाइम देंगे ?

श्री सभापति : ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट ।

सुश्री मैबल रिबैलो**:** पांच मिनट में मैं क्या बोलुंगी ।

श्री सभापति : आप लिस्ट देख लीजिए कितने स्पीकर्स हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं हैं ।

सुश्री मैंबल रिबैलो**:** पांच मिनट में मैं बोल ही नहीं पांऊगी ।

श्री सभापति : तीन मिनट में मैं घंटी बजाकर आपको याद करा दूंगा ।

MS. MABEL REBELLO: Sir, this concept of Special Economic Zone is really wonderful because India being a country of almost 11 o crore population, we need to remain a manufacturing country. We cannot afford to be a traders' country and today in a globalised economy when the world has become a global village we have got to compete with people and particularly, with giants like China who have set up, maybe, ten to fifteen years ago large economic zones and gave lot of incentives because of which the product has become very cheap and we have got to compete with them and for that we need to manufacture. The concept is definitely wonderful and, I believe, in five years' time something like Rs. 40,000 crores will come by way of investment. This is one way of encouraging the FDI to come into the country and also to encourage people to invest in India -- I mean, domestic investment.

Sir, there are a few things which I would like to bring to the notice of the hon. Minister. The speaker before me has spoken about the incentives that are available in the SEZs, like Customs Duty exemption, Income Tax exemption, Single Window Clearance and all that. I am not going into all that. But, I have a few anxieties. Sir, 150 SEZs have already got clearance and 200 SEZs have applied for clearance. My anxiety is: in the SEZs only 25 per cent of land is reserved for manufacturing sector and the 75 per cent is reserved for other activities, like schools, housing, commercial activities, etc. It is almost like some sort of real estate business. So, I would request the hon. Minister that instead of 25 per cent reservation left for manufacturing and services sectors, he should make it 100 per cent for them. If it is not 100 per cent, at least, 75 per cent should be reserved for this. Otherwise, the concept and the idea of SEZ is totally lost. Why do we have the SEZs? We have the SEZs to encourage people to manufacture. What will happen if we have an SEZ for services sector? Sir, a large number of jobs are created. Who will get jobs in the manufacturing sector? Half educated and illiterate people will also get jobs. In the services sector, educated people will get jobs. One of the major problems that we are facing today is educated unemployment. Similarly, illiterate people also don't have employment opportunities.

Why do we have naxalite problem in Jharkhand and Chhattisgarh? All this is because we are not able to give employment to our people, be they educated or uneducated.

MR. CHAIRMAN: Especially, Jharkhand.

MS. MABEL REBELLO: Yes, Sir. 20 districts, out of 22 districts of Jharkhand, are affected with naxalism. They made it compulsory that every family has to give one child to Naxalite movement. And, what is happening today? Families are giving girls to naxalite activities! That is why there are a large number of girls as naxalites. I am saying this since you have mentioned it. So, this is the problem before us. We should read the writing on the wall and we should apply our mind and address this problem of unemployment in the country. This is one way of doing and settling this problem.

MR. CHAIRMAN: Okay. Thank you, thank you.

MS. MABEL REBELLO: Sir, my anxiety is also this. What is happening today? So many large industrial houses have taken already permission to set up the SEZs. That is, 150 have already got the

permission and 200 are on the way. How much land will they be taking? They will be taking something like 4 lakh acres of land. Which land are they taking? It is not fallow land. It is a very good cultivable land. If good cultivable land is used for SEZs, what will happen to our country? We need grain to feed our 110 crore people? A fortnight ago, the hon. Agriculture Minister, who is sitting here, said that after three to four years we would have to continuously import grains to feed our people. Therefore, my anxiety is that to set up the SEZs we should not use good land. We are using black cotton soil for the SEZs. We are not paying adequate price to our farmers to get land from him for the SEZs. What happened in Kalinganagar in Orissa sometime ago? The Government acquired land to set up industrial units ® Rs. 35,000 per acre from farmers and sold that land to industrialists @ 3.5 lakhs per acre. Is the Government a business house wanting to make money? You have sold the land ten times more than the price that was paid to farmers and tribals. This is exploitation.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

MS. MABEL REBELLO: I request the hon. Minister not to take land at throwaway price or forcefully from the farmers.

MR. CHAIRMAN: That is a very good suggestion. Now, Smt. N.P. Durga.

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, Sir, my first clarification, which I wish to seek from the hon. Minister, is that the Minister, while replying to this question, said that there were three stages of approvals and if any entrepreneur or investor wished to set up an SEZ he should pass through three layers of scrutiny. Of these, only the second layer of scrutiny is important. So, I wish to know what are the requirements that one has to fulfil and whether the issue of land acquisition and payment of appropriate compensation comes under this stage of scrutiny. If so, I wish to know from the hon. Minister what are the mandatory guidelines that have to be followed by an investor and how the compensation is calculated. I am asking this because one SEZ at Varadiahpalem Satyavedu is coming up in my district Chittoor and 15,000 acres of agricultural land has been acquired against the wishes of our farmers. But, the farmers are not assured proper compensation and even if they are paid, it is pittance. So, I wish to know from the hon. Minister on this.

Sir, the primary aim of setting up an SEZ is to attract investment and it should not be that all investment comes only into SEZs and other regions or areas of that State are deprived of development; because, if you look at the SEZs operating in the country, they are all in developed States or in the developed regions and there is not even a single SEZ in backward States. If it goes on like this, it will create an imbalanced growth in the country. So, I wish to know what the Ministry is doing to open more and more SEZs in backward regions of the country.

The next point, is the entrepreneurs have little concern over the employees working in SEZs and have become notorious for many things, particularly with regard to violation of environmental norms and exploitation of labour. Sir, there are 40 per cent women working in various SEZs in the country. As per the Report brought out by International Confederation of Free Trade Unions, in these 'free' trade zones, it is the employers who run free like a fox in a henhouse. The report points out that enterprises in the zones gain their comparative advantage really through worker's exploitation and anti-union repression. Most of these enterprises are out to break their competitors in the price war, and they don't mind breaking the backs of their workers and the union to achieve that. With the new SEZ Act, 2005, the zones have been declared a 'public utility--service^ which imposes restrictions on workers going on strike. Moreover, >4h» delegation of the powers of the State Labour Commissioner to;the specially appointed Development Commissioner is expected to give little importance to labour rights in SEZs. So, J wish to know what the Ministry is doing, particularly with regard to women force in this regard.

Another problem with the SEZs is;. that the units operating elsewhere are shifting their production' and processihg^to these tax-free zones. So, there;fe a danger of failure to enhance the capabilities by shifting the units. By doing"s6," the units have twin, advantages. The first one is, they get all sops, 'and exemptions. Seconc^y, ^tiiey can have hire-and-fire policy. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government would insist on additional job creation once the unit is shifted to SEZ from other area, if not, the reasons may be given; *(Time-bell)*

Sir, my final point is whether it is true that, the SEZs will come in the way of the proposed uniform Goods and Service Tax proposed by the Kelkar Task Force. If yes, how will the Ministry get out of this?

Thank you very much, Sir, for having given me this opportunity.

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): माननीय सभापति महोदय, स्पेशल इकॉनोमिक जोन के मामले में माननीय सदस्यों की जैसी राय आ रही है और जैसा कि चीन का उल्लेख किया जा रहा है, यह बात सही है कि विशेष आर्थिक जोन की अवधारणा चीन से ही आई है। लेकिन चीन की बहुत सारी चीजो का उदाहरण देने से हर चीजों का अनुकरण नहीं होता है। वहां एक चीज के लिए हमने देखा है, जो जानकारी है वह यह है कि चीन में जो कृषि योग्य भूमि है वहां उसको विशेष जोन में नहीं लिया गया है, गांव कें गांव हटा कर एक जगह बसाया जा रहा है , शहर के रूप में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर के, वहीं पर उसमें व्यापार के लिए भी रोजगार के लिए भी अवसर दिया जा रहा है और कृषि योग्य भूमि में खाद्यान्न का उत्पादन करने के लिए भी उसको उसमें जोड़ा हैं। यही कारण हैं कि जो चीन पहले गेहूं के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं था,वहीं आज चीन गेंहूं का निर्यात कर रहा है और छोटे पुर्जों से लेकर बोइंग-737 के भी पुर्जे बना रहा है और कई टी.वी. का अपना नामकरण दे करके विश्व में निर्यात कर रहा हैं। यह प्रगति उसकी है। स्पेशल जोन की जो अवधारणा हमारे यंहां है,विशेष आर्थिक क्षेत्र ही, यह कृषि पैदावार के लिए नहीं हैं, बल्कि कृषि की भूमि ले रहें हैं। यह विशुद्ध रूप से व्यापार पर निर्भर हैं, जिसमें विचौलयों, आढ़तियों, कम्पनियों और बड़े लोगों को लाभ मिलेगा और किसानों के हित का नुकसान होगा। महोदय, इसलिए मैं समझता हूं कि एक बिंदु पर सबकी राय एक जैसी है, चीन मे जो भी कृषि योग्य भूमि हैं, उसमें स्पेशल जोन नहीं बनता है, जिसमें कृषि की पैदावार नहीं हो सकती हैं, वहीं स्पेशल जोन बनता है।

सभापति महोदय, वहां हमारा उत्पादन ही नहीं घटा है, माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठें हैं, हम 50 लाख टन गेहूं का आयात कर रहे हैं, यह हमारा निर्णय हैं और आगे भी यही स्थिति होगी। हमारे यहां जो कृषि योग्य भूमि थी, उसका आकार घटता जा रहा है। वर्ष 1983-84 में जहां 131.6 मिलियन हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी, घटते-घटते आज उसकी स्थिति यहां तक आ गई है कि 120.16 मिलियन हैक्टेयर भूमि हमारे पास कृषि के उत्पादन के लिए रह गई हैं। यह क्रम क्रमानुसार घटता गया है। वर्ष 1999-2000 में 127 मिलियन हैक्टेयर था 131 मिलियन हैक्टेयर के मुकाबले में, आज यह 120 मिलियन हैक्टेयर हैं। इस प्रकार जो इन्होनें अपने आंध्र प्रदेश के जिले की चर्चा की , उन्होनें भी चर्चा की है, हरियाणा में एक से एक एमओयू राज्य सरकार द्वारा साइन हो रहे हैं। हरियाणा की सरकार कह रही है कि 10 हजार करोड़ रूपये की हमारी आमदनीहोगी, व्यापार के द्वारा-इन्फोंरमेंशन टेक्नालाजी हो या दूसीर चीज़ हो या दूसरा पार्ट पुर्जा बने, कृषि योग्य जो भूमि है, उसको बबार्द करके 10 हजार करोड रूपया सालना तो हरियाणा को आमदनी होगी, लेकिन खेती पर हमारी निर्भरता घटेगी। सारे लोग जानते है –हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या बिहार में गेंहू की पैदावार हो, यह जो गंगा के किनारे विध्यांचल का इलाका है,नदी के किनारे जो प्रदेश है, उन प्रदेशों में ज्यादा भूमि गेहूं के लिए और अन्य प्रकार के अनाज के लिए उपजाऊ हैं।

महोदय, इसमें हमको एक बात सरकार से कहनी है कि जो कृषि योग्य भूमि स्पेशल इकोनोमिक जोन के लिए ली जा रही है, उस पर पाबंदी लगाई जाये। महोदय, दूसरी बात है कि इसमें करीब 16-17 राज्य हैं, । झारखंड में तो अभी एक ही हुआ है, सबसे ज्यादा 18 महाराष्ट्र में हैं, अभी तक 18एप्रूवल हो चुका हैं, राष्ट्रीय स्तर पर 106 का अनुमोदन हुआ है और सबको मिलाकर 210 होगा, जो अभी पाइपलाइन में हैं। अब इसकी बाढ़ आ रही है

और इसको बहुत ज्यादा रियायत मिलने वाली है । सरकार द्वारा दी जा रही रियायत कम नहीं है । सरकार का जवाब है, मैं सिर्फ उसको वोट कर देना चाहता हूं ,

"The major incentives offered to units in the SEZs to promote exports include duty free import/domestic procurement of goods, exemption from Central Sales Tax on supplies made from Domestic Tariff Area, exemption from service tax and 100 per cent income tax exemption on export profits for the first five years, 50 per cent for the next five years and 50 per cent of ploughed back export profits for the next five years."

आप ये विशेष सुविधांए उनको दे रहे हैं, व्यापार करने वालों कों, बिचौलियों को,बडे आढ़तियों को, रिलायंस जैसी बढ़ी कम्पनियों को या जो विदेशी जैपनीज़ कम्पनीज़ आ रही है । इसलिए कृषि योग्य भूमि को बर्बाद करने पर पांबदी लगनी चाहिए ।इन्हीं बातों के साथ, मै इसका विरोध करता हूं लेकिन सरकार का यह प्रपोजल है, इसलिए मैं समर्थन करता हूं ।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद । श्री तरलोचन सिंह । यह कौन-सा सिस्टम हैं, यह कौन-सा सिस्टम हैं । ...(**व्यवधान**)...

श्री तरलोचन सिंह (हरियाणा): धन्यवाद चेयरमैन साहब । मैनें यह मोशन अंडर 170 में मूव किया था और आपने इजाजत भी दी थी ।मैं दो-तीन पाइंट ही कहूंगा कि यह जो एसईजेड के बारे में भारत सरकार ने उनको जो फैसिलिटीज़ दी है, वे इसलिए दी है कि ये इंडस्ट्री लगायेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे । लेकिन यह हमें समझ में नहीं आया इंडस्ट्रियल हाउसेज को, जो बड़े-बड़ हैं,उनको लाया गया, तो फिर उनको बिल्डर क्यों बना रहे हैं । हमारे तो हरियाणा-पंजाब में, जितनी बिल्डर लॉबी है,वह इकट्ठठी होकर यहां जमीन को एसईजेंड के रास्ते कब्जा करने के लिए आ चुकी हैं । और इनका प्रोविज़न ऐसा है कि जितनी ज़मीन वे लेंगे,उसमें से आधी से ज्यादा पर वे रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाएंगे , इंस्टीट्यूशनल एरिया बनांएगे और उनको बेचेंगे । अब क्या हो रहा है, मैं हरियाणा की मिसाल देता हूं, हरियाणा मे गुडगांव के पास, जब से यह मेगा एसईजेंड़ प्रोजेक्ट बनाया है,जमीन की कीमत 15 लाख पर एकड़ हो चुकी है ।

श्री सभापति : वह तो किसानों को फायदा हो रहा है ।

श्री तरलोचन सिहं : सर, इसमें कोई किसान का फायदा नहीं हैं । ...(**व्यवधान**)...यही तो मैं कहना चाहता हूं कि किसान दोनों तरफ से मर रहा है । किसान को इसमें कोई फायदा नहीं हैं ।...(**व्यवधान**)... सर, मैं बताना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Sir, in Hyderabad, it is 10 crores or 14 crores per *acre...(Interruptions)...*

श्री सभापति : किसकी ज़मीन है यह ? यह ज़मीन किसकी है । ...(**व्यवधान**)... ठीक हैं, अब हो गया । चलिए, आप बोलिए । ...(**व्यवधान**)...बैठिए, बैठिए । ..(**व्यवधान**)...

श्री तरलोचन सिहं : सर, ऐसा लग रहा है कि जो बिल्डिंग लॉबी है और जो माफियाहैं इसके साथ अफसर और पार्लियामेंट, सब इकेंठ्ठ हो गए है क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों स्टेट्स में,वे, जो कानून है, उसमें भी आगे निकल गए । इनका एक्ट कहता है कि सारे

कानून इनके जो हैं. वे पीछे रह गए हैं । हरियाणा मे क्या किया कि एसईजेड़ वालों को लैंड यूज़ चेजं की अथॉरिटी भी दे दी कि जब चाहें, जो मर्जी कर लें । उससे क्या होगा, एक मिसाल पहले थी कि जब पेप्सी को बेन किया गया तब पेप्सी पंजाब में आयी ..(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : अब खत्म करिए आप ।

श्री तरलोचन सिंह : वे कहेंगे कि बडी-बडी फेक्ट्रियां लगाएंगें । एक फेक्टरी ..(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आपका टाइम खत्म हो रहा है ।

श्री तरलोचन सिंह : सर, मैं बताना चाहता हूं कि ..(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : मैं अलाऊ नहीं करूंगा । अपने टाइम में बोलिएं ।

श्री तरलोचन सिंह : एक मेगा एसईजेड़ प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट "हिन्दूस्तान टाइम्स" ने 24 जुलाई को छापी । उसमें यह लिखा है कि यह जो रिलायंस का प्रोजेक्ट हरियाणा में आया हैं, दस साल में ये 20 हजार करोड़ रूपए कमाएंगे । 45,000 करोड़ इनका रेवेन्यू है और टोटल एक्सेपेंडीचर 25,000 करोड़ हैं । उनकी यह रिपोर्ट कहीं अखबार के पास आ गयी ह। इसमें किसान को क्या फायदा हैं ? इसमें यह लिखा है कि वे जितनी ज़मीन बैचेगे, जितनी कॉलोनीज़ बनांएगे- उन्होनें असत्य शो कर दिया है कि एयरपोर्ट बनाएंगे । आज ही मैनें सवाल डाला था, जवाब मिला कि There is not any proposal with the Government to have any airport near Gurgaon. सर, मैं तो यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा में 1500 एकड़ ज़मीन एक प्राइम लैंड चौटाला जी ने इकोनोमिक जोन बनाने के लिए गुडगांव में ली थी । वह ज़मीन भी उन्होनें थ्रो, अवे प्राइस पर इस कम्पनीको दे दी ।फार्मर को जो पैसा मिलना था,उससे बहुत कम मिल रहा है । एक और बडा जरूरी प्वांइट हैं । यह जो दिल्ली सिटी है,इसके लिए भारत सरकार ने, दिल्ली में जो बड़ कंजेशन हो रही है , डेढ करोड की आबादी हो चुकी हैं, इसके लिए एक National Capital Region बनाया गया था और उसके लिए एक एनसीआर प्लान बना, उस प्लान के ड्राफ्ट में तीनों चीफ मिनिस्टर्स के सिग्नेचर्स हैं । वह प्लान रिलीज़ हुआ कि दिल्ली के आस-पास डेढ़ सौ मील तक एक ऐसा वातावरण बनाया जाए । दिल्ली के लोग कहां जाएंगे ? लेकिन यह जो एसईजेड़ बना, इसने, वह प्लान जो यूपी ,हरियाणा और दिल्ली, तीनों चीफ मिनिस्टर्स ने साइन किया, उस पर ओवरराइडिंग करके उसको खत्म कर दिया क्योंकि जितने लोग दिल्ली में रहते हैं, उनका भविष्य एसईजेड़ के इस प्लान के साथ बंधा हुआ है । इसके लिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो एनसीआर का प्लान रिलीज़ हुआ । प्लीज़ उसको देखिए, कहीं उस प्लान को- दिल्ली इंडिया की केपिटल हैं- एसईजेड़ वाले उसको खराब न कर दें । फार्मर्स के संबध मे एक बात कहना चाहता हूं कि जमीन पहले ही बहुत थोडी है । अभी जो बहस हो रही थी, उसमें मैनें भी बोलना है,जमीन तो कम होती ही जा रही है, अगर आप सारी एग्रीकल्चरल ज़मीन ले लेकर बनाओगे तो अल्टीमेंट नुकसान इंडिया का ही हैं । धन्यवाद ।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Mr. Chairman, Sir, the Special Economic Zones is an idyllic idea. It can be compared with golden land in the novel 'Atlas Shrugged' by Ayn Rand, ^n innovator, inventor and a great manufacturer founds, say, a nation away from all

nations where the entrepreneur, inventor and the innovator will have no handicaps. That is the kind of experiment we need to try in India getting out of the socialist licence permit quota raj and taxation raj. The idea suffers from certain disadvantages in application and one of the biggest difficulties that has come up in Haryana and Uttar Pradesh -- where Shri V.P. Singh also went -- is the method in which the land is taken from the farmers. Sir, if your entrepreneur is going to be freed from all kinds of restrictions that were characteristics in the socialist era, then, there is absolutely no reason why you should the land acquisition, which comes from the old socialist era be continued.

In Maharashtra, Sir, -- thanks to our Minister for Agriculture, -- we have evolved a formula. It is not a question of whether the land is fit for agriculture or not. The question is, does the farmer want to continue as a farmer or not? If he wants to continue as a farmer, there will be no acquisition in land; and if he is not prepared to continue as a farmer, then he will have the full liberty to dispose of his land to anybody he likes at a price that he can get, the best price that he can get. If we follow that, then, I think, the farmer will also be put on par with the free entrepreneur and you will get rid of many of the headaches that you are having in starting the Special Economic Zones. Thank you.

SHRI CHITTABRATA MAJUMDAR (West Bengal): Sir, what I want to raise here is that from media, it has been reported that the total loss, which has been estimated by the National Institute of Public Finance and Policy, would be Rs. 97,000 crores in five years on an investment of Rs. 3,60,000 crores only. That is the revenue loss. When we are not finding resources for universalization of PDS, for right to education and for implementation of many other similar schemes, in this way a huge amount of tax concessions is being given to the corporate houses. That is my first point which I wanted to raise.

The second is, as per the reply of the Commerce and Industry Minister, 28 SEZs are, at present, operational. We want to know -- and we think that a review should be made on these 28 operational SEZs - what is the amount of investment there, what is the amount of exports from those incentives offered to them and employment provided by them.

My third point is, seventy five per cent of land has not been properly earmarked. How can this land be utilised? I want to know whether it could be used for building houses or some other purpose, My

point is, for which purpose this land could be utilised. Since it is SEZ, so only for industrial purpose, that land can be used. So that is another point.

Now, my next point is, about the process of land acquisition, what I think is that the cost-benefit analysis should also be taken into account before acquisition. Other things which need to be taken into consideration in this regard should be: rehabilitation and livelihood security of the displaced people, its implication for food security, uses of power and water, assessment of environmental impact, etc. As far as we understand, there is a cap on the number of SEZs, *i.e.,* 150; that has been approved. Now, again, another 200 applications are there, and the Commerce and Industry Ministry is now preparing a proposal for removing the cap. I am suggesting that the cap should not be removed now. A thorough re-examination of all the approved SEZs should be there on case-to-case basis. Appropriate ceiling on the maximum land area, not less than fifty per cent, should be provided for production, and the use of land, not under production, should be properly specified.

Finally, Sir, I would like to point out another aspect; one of the hon. Members had raised it to a certain extent. There is an ILO recommendation about the Grievance Redressal Authority and the Development Commissioner. The ILO recommendation is that these two should be different persons, but here, the Development Commissioner has been given the authority to look after the task of grievance redressal. That should not be done.

श्री अमर सिंह (**उत्तर प्रदेश**): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत संक्षेप में आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि SEZ के बारे मे बड़े conflicting signals आ रहे हैं। एक ही सरकार के दो मंत्री, दो तरह की बातें कर रहे हैं । वित्त मंत्री जी का बयान आता है कि इससे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा और माननीय वाणिज्य मंत्री जी कहते हैं कि इससे देश की बड़ी बढ़ोतरी होगी और बड़ा फायदा होगा । हमें विश्वस्त सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि झगड़ा यह है कि वित्त मंत्री जी ने एक पत्र लिखा है कि प्रशासनिक रूप से SEZको ग्रांट करने का अधिकार वित्त मंत्रालय को होना चाहिए, वाणिज्य मंत्रालय को नहीं । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अगर एक ही सरकार के काबीना स्तर के दो मंत्री, दो तरह की बातें कहेंगे, तो फिर जो लोग इतनी पूंजी का उपक्रम कर रहे हैं,उनका क्या होगा ? मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि अभी बार-बार पूर्व प्रधानमंत्री जी का जिक्र हूआ और हमारे दोस्त शरद जोशी जी ने कहा किस तरह से खेती की ज़मीन दी जाए । मै स्पष्ट करना चाहता हूं , शरद पवार जी की बात बिल्कुल सही है कि किसान खेती में रहना चाहता है या खेती नहीं करना चाहता है, हमने जिस भूमि का अधिग्रहण करके उत्तर प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, हमने उसमें किसान की अनुमति से, उसकी इन्छानुसार जो पैसा उसने मांगा है, हमने यह इन्टरपैनल मे देकर लिया है । हमने उसमें कोई सीमा नहीं बांधी है, लेकिन मै बड़ी विनम्रता के साथ कहना

चाहूंगा कि जिस फूड सिक्यूरिटी, यहां कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं , पंजाब और हरियाणा मे जहां पर 25 हजार हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, अगर कृषि योग्य भूमि किसान देना चाहता है और उसे उचित मांग मिलती है, तो वह ठीक है । लेकिन वहां पर, जैसा हमारे साथी मंडल जी ने भी कहा हैं, मै यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर SEZ के नाम पर उद्योग लगेगा ? या वहां पर भूमाफिया, जो बड़े-बडे उद्योगपति के नाम पर, मैने सुना है कि अगर 80 परसैंट उद्योग लगेंगे, तब तो ठीक है, लेकिन अगर उद्योग की जगह पर रियल स्टेट हो या बड़े-बड़े लोग उसको bid करें और ये बड़ी-बडी कम्पनियां 22 हजार, 25 हजार करोड़ रूपया कमांएगी, तो आप किस तरह का SEZ लगाना चाहते हैं ? आप SEZ के नाम पर भूमाफिया , लैंड ग्रैबर्स, किनको आप लेना चाहते हैं ?यह गंभीर मामला है । हम SEZ की पोलिसी का स्वागत करते हैं । सेल्स आफ SEZ चलाने वाले पूर्व वाणिज्य मंत्री श्री अरूण जेटली जी इधर बैठे हैं । उसको इम्पलीमेंट करने वाले वाणिज्य मंत्री श्री कमल नाथ जी इधर बैठे हैं और सदैव की तरह मैं बीच में बैठा हूं । लेकिन इसके बावजूद यह बीच का आदमी कहना चाहता है कि इन बिचौलियों से बचिए । इन बिचौलियों से बचिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बीच में हैं तो बिचौलिया तो आप ही हो गए । ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह : मैं बिचौलिया नहीं हूं । ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आपने खुद ही तो अपने आपको कह दिया ।

श्री अमर सिंह : बीच में आपने बैठा रखा है । ...(**व्यवधान**)... आपने बीच में बैठा रखा है, मैं बिचौलिया नहीं हूं । ...(**व्यवधान**)... ये बड़े सलीके के लोग हैं, ये जो उद्योगपति आप से 25 हजार हैक्टेयर भूमि ले रहे हैं । कमल नाथ जी, ये बडे सलीके के लोग हैं, इनसे मिलते रहिए । ये किसानों की गर्दन काटेंगे जरूर, बड़े है तमाम किसान । धन्यवाद ।

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र): सभापति महोदय मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कमल नाथ जी ने कहा है कि जो पिछड़ा क्षेत्र है, जहां बेरोजगारी हैं, जहां आत्महत्यांए हो रही है । आपने तीन बार हमारे हाऊस में कहा है कि उस जगह पर SEZ जोन बनाएंगे और वहां के किसानों का जो मदद चाहिए, वह बराबर देंगे,आज इस बात की घोषणा करें ।

श्री रूद्रनारायण पाणि : माननीय सभापति जी, मैं सिंर्फ प्वाइंट उजागर करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आपके सामने भाषण नहीं कर पाऊंगा ।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बोलिए, बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आप बेफिक्र रहें, मै इधर देखता रहूंगा ।

श्री रूद्रनारायण पाणि : महोदय, कोई भी करे, आप इस SEZ को कर मुक्त कर सकते हैं, लेकिनSEZ में लेबर लॉ लागू करेंगें या नहीं, यह स्पष्ट करिए, रा0ज0ग0 करें, सं0प्र0गं0 सम्पर्क करें या मिली-जुली के जमाने में दोनों मिलकर करें, लेकिन इसमें लेबर लॉ लागू न करने से हम श्रमिक संगठन वाले इसका विरोध करेंगे । ...(**व्यवधान**)...

सुश्री मैंबल रिबैलो: अभी इन्होनें कहा था कि भाषण नहीं करेंगे, लेकिन ये भाषण कर रहे हैं । ...(**व्यवधान**)...

श्री रूद्रनारायण पाणि : हम भाषण नहीं कर रहें हैं । ...(**व्यवधान**)... हम भाषण नहीं कर रहे हैं । ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : करने दो, आप बैठिए, बैठिए । ...(**व्यवधान**)...

श्री रूद्रनारायण पाणि : हम एक प्वाइंट उजागर करे रहे हैं कि SEZ कोई भी करें, इसमें अगर लेबर लॉ लागू नही होगा तो इस देश की तमाम वर्किंग क्लास, जितनी सैंट्रल ट्रेड यूनियन्स है, जितने केन्द्रीय श्रमिक संगठन हैं, हम सब लोग मिलकर इसका विरोध करेंगे । अभी NALCO के disinvestment और न्येवली के प्रस्तावित disinvestment को सरकार ने बाध्य होकर on hold रखा है । मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करूगा कि नालकों कहिए या न्येवेली का कहिए, जो भी on hold हैं, उस पूरे के पूरे प्रस्ताव को आप वापस करिए । मेरी आपके माध्यम से एकमात्र request यह है कि SEZ में किसी भी तरह लेंबर कानूनों की अनदेखी न की जाए ।

श्री सभापति : आप बहुत बढ़िया बोले । कम टाइम में आप बहुत बहुमूल्य बात कह गए।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, यह जो आर्थिक जोन क्षेत्र हैं, वास्तव में इसमें कोई संदेह नही कि व्यावसायिक भूमिका के साथ-साथ इसकी निर्माणात्मक भूमिका भी है, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के क्षेत्र लिए जा रहे हैं। वे इतने उपजाऊ हैं, वे किसानों के लिए इतने उपयोगी है कि उन क्षेत्रों के ले लिए जाने के बाद, उस क्षेत्र क किसान तबाही महसूस कर रहा है । जिस जमीन पर वह किसान कई फसलें उगाता हैं, जैसे मंगनी लाल मंडल जी ने एक उदाहरण दिया कि वाराणसी में तो सब्जी आदि लेकर किसान जाता था और उससे अपने पूरे परिवार की आजीविका चलाता था और पूरे के पूरे परिवार उस काम में लगते थे , लेकिन आज वह क्षेत्र ले लिया गया, इसलिए किसान तबाही अनूभव कर रहा है । इस संबध में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि किसानों से इतनी उपजाऊ भूमि ली जा रही है, सस्ती दरों पर ली जा रही है और बड़ी महंगी दरों पर दूसरे लोगों को दी जा रही है,लोग खरीद भी रहे हैं । तो क्या सरकार इस संबध मे विचार करेगी कि जब वह किसानों की पूरी जमीन ले रही है, तो किसानों के परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका की गांरटी देने की कोई व्यवस्था हो । क्या वह ऐसी कोई व्यवस्था करेगी ? दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जो क्षेत्र है, वह जबर्दस्त उत्पादक क्षेत्र है, गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र को ले लेने के बाद उत्पादकता की क्या स्थिति बनेगी , इसके बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

श्री सभापति : बोलिए, मंत्री जी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : माननीय सभापति जी, मुझे एक सवाल करना है ।

श्री सभापति :अभी नहीं । जो नाम आएं हैं, वे सब मैनें बुलवा दिए हैं ।

THE MINISTER* OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI KAMAL NATH): Mr. Chairman, Sir, I thank the hon. Members for their suggestions

and some of their reservations जो उनको शक और शंकाएं इस SEZ Act पर हैं, Sir, the SEZ Act was passed by this House. While passing the Act, in fact, a large number of hon. Members praised the provisions of the Act in both Houses. This SEZ Policy, the first concept in this, started many years ago with the Export Processing Zone in Kandla. Thereafter, the SEZ Policy was announced in the year 2000 -- I think, it was in the year 2000. I am happy that my erstwhile colleague, Shri Arun Jaitley, is here; he would know that it was sometime in the year April 2000. Thereafter, a process was started to instil confidence in those who would become developers, and also in the units which would be coming up in the Special Economic Zones. To ensure that this is a stable regime, it was thought that an Act of Parliament, an Act and law passed by this House, was essential. Sir, essentially, SEZs had two or three very clear objectives. What are those objectives? The first objective is, there is going to be an engine of growth to stimulate new investment. When some Members suggest that there is going to be movement of one unit into an SEZ, I think, if we go through the Act, if we go through the rules, it provides clearly that all machines must be new. If they had to be new, they cannot be moved from anybody. It's already built in. Much of what has been said is already in the Act passed by this House. I am afraid, I cannot even tamper with that until this House decides or both th6 Houses decide.

Sir, the tax benefits in this are contained in the Act. This House, while approving and passing the Bill, looked at those. Now, one of the incentives we are trying to create, one of the incentives we are trying to build, is for the developers. What is our objective? I completely agree that manufacturing sector - hon. Member mentioned about manufacturing. -- counts for 17 per cent of the GDP. We definitely need to take it to 24-25 per cent of GDP. In Malaysia, it is about 28 per cent of GDP. In Thailand, it is much higher. We got to have manufacturing growth. Today, for investments, we are competing with Thailand, Malaysia. There is a comparative environment. Why will anybody come to India? That was one principle that we need to create an engine of growth. The second principle was that taxes are not exported. Now, if the suggestion of this House is that we should levy an export tax, today, custom duties and excise duties on products, which are exported, are refunded. We have these various schemes. That has been happening because taxes are not to be exported. We are not going to export our taxes. Now, how do we compete? So, the first principle is that taxes are not to be exported, and if we say we have EOUs, these EOUs came into being because we allowed them to

import duty free so that they could export. If we had not allowed that, the EOUs would not have come into existence. And, if they had not come into existence, we would have had no employment. That incremental economic activity would not have taken place. So, the architecture of the Special Economic Zones Act passed by this House is that there is a developer who develops the infrastructure. Somebody is to develop the infrastructure. Who is going to build the roads? Who is going to build the hospitals? If there are going to be factories, where are they going to live? Somebody is to do that. So, one part of the SEZ Act....*{Interruptions)...* No. that is provided in *that..(Interruptions)...* I am not talking of over 25 *...(Interruptions)...* Let me clarify. So, we have got to look at these aspects. There are rules for land usage and town planning. If you are going to have factory, you would have some parking; you would have a canteen. So, who will build that? And, units will come there only if this infrastructure is there.

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE (Assam): But, that should be confined in 25 per cent.

SHRI KAMAL NATH: If you listen to me and if you explain this to your Chief Minister also not to write to me and say that we must have this, i« would make things much more simpler because I have got two tetters. *..(Interruptions)...*

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Why are you referring to the 3hief Minister?

SHRI KAMAL NATH: The fact is that in its wisdom, this House passed this Act which provides facilities for the developers and the exporters. What have we allowed for the exporters?

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Today, exports, under various schemes, have refund, tax benefits, irrespective of whether they are SEZs or not. Should we make the SEZs lesser? Today, we are refunding excise duties and custom duties to exporters. Should we make exporters and Special Economic Zones lesser? Today, for infrastructure development outside SEZ, there are already various tax incentives. Should we make the SEZ lesser than that? There are already tax incentives for exporters. These are not incentives. When you are refunding tax you collected when you are exporting, it is a refund. Now, you say that I have lost this. This is like saying that

6.00 P.M.

agriculture is tax free. So, if you have an agricultural export and agriculture increases, we will lose so much revenue.

SHRI AMAR SINGH: It is notional loss.

SHRI KAMAL NATH: If my friend says, "It is notional', Sir, I am reminded of a joke which I will tell him separately. A man misses a bus and walks on and he says, "I have saved five rupees.* And, he says, "If I would have missed a taxi, I would have saved thirty rupees."

So, the question is to what extent you want to take your notions and your notional calculations. This is the imagination of the mind. So, if you are very imaginative, you can take it anywhere. As I said, in agriculture, one theory is that we should not have agricultural exports because if we have agricultural exports, agriculture will increase; and, agriculture is tax-free. So, why should we have agricultural exports? So, you have all agricultural exports - let us calculate what is our tax toss? So, on what basis is this calculation made? There are many methods of calculating this. I also have a calculation. *(Interruptions)*

श्री रामदास अग्रवाल : कमल नाथ जी, मैनें आप को जो फिगर्स दिएं हैं, वह मेरे नहीं हैं। यह वित्त मंत्रालय ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : रामदास जी, आप देखिए Half an hour discussion इतना लंबा नहीं हो सकता।

श्री रामदास अग्रवालः सर, ऐसा नहीं हो सकता। रिकॉर्ड पर यह बात नहीं जानी चाहिए कि जो कुछ हम ने कहा, वह नोशनल है। यह मैनें नहीं कहा है।

श्री कमल नाथ : मैं खत्म कर लूं।

श्री रामदास अग्रवाल : मैने जों बात कही है, वह आप के फिगर्स से ही कहीं हैं। I have quoted from the answer. मैनें अपने फिगर्स नहीं दिए हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No questions. *...(Interruptions)...*

SHRI KAMAL NATH: Sir, I will reply to him. and, if he is still dissatisfied, I will again try to reply to him. I will not leave you dissatisfied. Please, be sure of that. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But the House has no time.

SHRI KAMAL NATH: So, especially, there was a mention that there is so much of revenue loss. Sir, here, I have a document, a document

presented to the House. I don't know what he is referring to. This is from the Budget. In the receipts side of the Budget on page 47, it says very clearly, Export Profits of Units located in Special Economic Zones including Export Processing Zones and Free Trade Zones, the revenue foregone is Rs. 1,340 crores. It also says, on export profits of software producing units in software technology parks, the revenue foregone is Rs. 7,080 crores. Foregone is one word, that is, the revenue lost; if these were not there, you would not have earned the revenue, where is the question of losing it. Then, it goes on to say, profits from Special Category States; and, also profits derived from housing projects, production of mineral oil, development of scientific research - revenue foregone is Rs. 11 ,000 crores. I am reading it out from a paper, placed on the Table of this House, which is available with all of us. So, this sense of things that there is a huge revenue loss, Sir, is fallacious. Sir, the hon. Member says that there is a revenue loss of Rs. 70,000 or 90,000 crores -- 70,000 crores for direct taxes, and, 20,000 for indirect taxes. If that is the revenue loss, and, if we take the average tax to be Rs. 25,000 crores and work out as to what is the turnover, what will be the economic activity created and what will be the tax which will be generated on the new economic activity, you will come to a calculation that the new revenue generated, the new tax collection is not a loss but is a profit „/ Rs. 44,000 crores generated over the next ten years. It will come to that.

SHRI AMAR SINGH: Please tell this to the Finance Minister.

SHRI KAMAL NATH: You tell him. I am replying to the House. I am not saying it privately. ... *interruptions)...* Sir, the other aspect is about the land, which, I agree, is a serious concern. Sir, we acquire no land. The State Government forwards the proposals. Now, what is the situation of what has been approved? Let us look at that. Today, of the 150 formal approvals, which have been given, and, which involves 26,800 hectares, 37 proposals are of the State Industrial Development Corporation covering (,140 hectares of land. The State Industrial Development Corporations are using the land, which they already have. The State Governments are pushing this. No proposal is approved by the Central Government without the State Government. Today, the State Governments are anxious to generate economic activity in their States, the State Governments are anxious to have as many SEZs as possible. Several Chief Ministers, that is why I am saying, are writing to me that, "Please, make sure that these approvals are granted". Who gives the land? How is the land found? This

House, while approving the Act, did not give me the power or give the Ministry the power to acquire the land. The land is with the State Government. If the State Government decides that it doesn't want this project, please, don't have it. No proposal can be approved without the State Government. And, in fact, the State Government looks at these aspects. The Central Government does not look at the aspects of land. And, if the State Government feels that there is a need and necessity to generate economic activity -- some Chief Ministers have asked me: Why are we not getting any SEZs? I can't give any SEZ; the Government is not setting up any SEZ. My friend says about Jharkhand. Somebody has to apply. Let Jharkhand apply and promote an SEZ. The Central Government sets up no SEZ. *...(Interruptions)..*

MS. MABEL REBELLO: You have given them the special incentives and all that. *...{Interruptions)...*

SHRI KAMAL NATH: You are saying incentives, and now they are saying, special incentives. *...interruptions)...*

MS. MABEL REBELLO: Everybody cannot be Maharashtra or Gujarat. *...(Interruptions)...*

SHRI KAMAL NATH: So, Sir, the very basic point is that we are not setting up any *...(Interruptions)...*

SHRI AJAY MAROO (Jharkhand): You have given permission to Jharkhand. *...{Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have to cover the Short Duration Discussion also. There are still 17 more hon. Members to speak on that. Now, we should make a *...{Interruptions)...*

श्री कमल नाथ : सर, मैं रामदास जी से एक बात पूछूंगा कि ये राजस्थान में एस0ई0जेड0 चाहते हैं या नहीं चाहते । अगर आप नहीं चाहते, तो आप कृपा करके अपने मुख्य मंत्री को कहिए । अगर आप चाहते हैं **...(व्यवधान)...** सुन लीजिए, मेरी बात **...(व्यवधान)...** नहीं, सुन लीजिए **...(व्यवधान)...**अगर आप चाहते हैं, तो आप **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभपति : नहीं, अग्रवाल जी, यह नही होगा । **...(व्यवधान)...** nothing *...{Interruptions')...* I request the hon. Minister not to *...(Interruptions)..* This is a Half-an-Hour Discussion. *...{Interruptions)..* The discusston is over and the Minister is replying. We have to go to other subjects also. *...(Interruptions)...*

श्री रामदास अग्रवाल : सर, **...(व्यवधान)...**

श्री अजय मारू : सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ...(**व्यवधान**)... नहीं, I will not allow because Half-an-Hour Discussion में यह सब अलाऊ नहीं हैं। अग्रवाल जी,प्लीज ...(**व्यवधान**)...You please just give the reply. Don't respond to him. It is very difficult because...*(Interruptions)..*

श्री रूद्रनारायण पाणि : सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : नहीं, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... पाणि जी, आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... यह आपका सब्जैक्ट नहीं हैं। आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... यह आपका सब्जैक्ट नहीं हैं ...(**व्यवधान**)... रामदास जी, यह क्या हो रहा है ? ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं ...(**व्यवधान**)... No.No Please ..(Interruptions)... आप प्लीज़ बैठिए ...(**व्यवधान**)... रामदास जी, यह जरूरी नहीं हैं कि हॉफ् एन ऑवर डिस्कशन में हर चीज़ का सोल्यूशन हो ...(**व्यवधान**)... नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

SHRI V1JAY J. DARDA (Maharashtra): Sir, it is a Half-an-Hour Discussion and it has already been more than one hour *...(Interruptions)..*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes; that is what I am saying. It has been more than one hour. We have to conclude the Short Duration Discussion on Price Rise also. *...(Interruptions)..*

SHRI KAMAL NATH: Sir I want to clarify the *...(Interruptions)..* Where the land is concerned, it is the State Government which has to either acquire it, or, whichever is the developer, if he has the land, he has to get the State Government's approval before the SEZ can be sanctioned. Now, I am sure the State Governments, with all the responsibility, would be looking at this. If there are any specific cases, I will be happy. You bring it to my notice and I can bring it to the notice of the State Government.

The next issue is that units are shifting to this 'tax haven'. Sir, this is not 'tax haven'. This is incremental economic activity. They will only become a haven once activity starts there. And, that activity will only start, if they are not penalised to corhe there; if they are given some incentives to come there. So, we have to decide, and this House rightly decided by passing this Act that it is necessary to provide the stimulus to this economic activity. It relates to fresh investment. Today even if you have a house there, even if you have a small factory there, which is already there, it cannot be approved; it has to be new. So, it is for new investment and new incremental investment. The other question was that there might be real estate on it. Sir, it is provided in the rules that 80-90 per cent in IT SEZs has to be processing area. It is provided here. Fifty per cent area is

earmarked for processing in sector specific. If you want to have some green space, if you want to have roads, it is provided. Then what are the limitations for a non-processing area? So, all these things are already provided.

Sir, another point I want to make very categorically is this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to make it quickly.

SHRI KAMAL NATH: This is the last point. Somebody mentioned that we should do a review. We are doing this review constantly. What is the latest position? While concluding, I would very briefly say that out of the existing SEZs...(/nte/7upf/br?s).. I am answering his question. He asked a specific question, and I am giving a specific answer. So, Sir, out of the operational, SEZs the total exports last year were Rs.22,000 crore. These SEZs provided direct employment to 1.1 lakh people and indirect *...(Interruptions)...*

MS. MABEL REBELLO: *Sir,..(Interrptions)..*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. You don't respond. No. Please. नहीं, नहीं । आप बैठिए । ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी आप उनको रेस्पोंड मत कीजिए । ...(**व्यवधान**)... टाइम नहीं हैं । ...(**व्यवधान**)...

SHRI KAMAL NATH: Sir, there are 927 units..(fntemjpf/bns)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have to complete it. There are still 16 hon. Members to speak on the Short-Duration Discussion. We will have to sit tilt 11 O' dock in the night to complete it.

SHRI KAMAL NATH: There are 927 units operating here, and it has an investment, just in these few months, of Rs.2000 crore. With this, I believe that this is going to be a strong stimulus in enhancing our manufacturing sector. It is going to be a strong stimulus for our exports. In the sum total of things, there is no revenue loss. In fact, with the economic activity created, with the new jobs created, with the incomes of people rising by virtue of new jobs, the new economic activity will lead to a higher revenue collection. Thank you, Sir.